

संचिका सं०-10/गै०यो०-02-08/2017 543(10)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि-पत्र

स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश संख्या-1132(10), दिनांक-06.12.2017 में अधोलिखित संशोधन किया जाता है:-

2. राज्यादेश में अंकित "प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, छौड़ाही के क्षतिग्रस्त भवन के पुनर्निर्माण कार्य" के स्थान पर "प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, छौड़ाही के क्षतिग्रस्त भवन के विद्युतीकरण कार्य" पढ़ा जाय।

3. शेष यथावत रहेंगे।




(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापक:-10/गै०यो०-02-08/2017 543(10) /स्वा०, पटना, दिनांक:-14/09/2018

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, दरभंगा, भवन निर्माण विभाग, पटना/जिला पदाधिकारी, बेगूसराय/सिविल सर्जन, बेगूसराय/प्रभारी पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, छौड़ाही, बेगूसराय/कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/बेगूसराय/विश्वश्वरैया भवन, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी-10/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव।
Norman